प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 25-झालाबाड़-बारां संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपवंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री दुष्यन्त सिंह 197, सीताराम कोलोनी, वार्ड नम्बर - 2, धौलपुर, जिला धौलपुर, राजस्थान जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: झालावाड

दिनांक: 04 जून 2024

(अजय विंह राठौड़) रिटर्निंग अधिकारी

संसदीय निर्चाचन क्षेत्र 25-झालावाइ-बारां जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाइ

(अजय सिंह राठौड़) रिटर्निंग अधिकारी 25-झालावाड-बारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of the People from the 25-Jhalawar-Baran Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, 1 declare that—

Shri DUSHYANT SINGH

197, Sitaram Colony, Ward Number-2, Dholpur, District Dholpur, Rajasthan sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jhalawar Dated: 04 June 2024

> (Ajay Singh Rathore) Returning Officer

Parliamentary Constituency 25-Jhalawar-Baran District Collector and District Magistrate Jhalawar

(Ajay Singh Rathore)
Returning Officer
Parliamentary Constituency 25-Jhalawar-Baran
District Collector and District Magistrate Jhalawar